प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0
राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई,
19–ए, विधान सभा मार्ग, लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रसंख्या :–एस0पी0एम0यू/बी0एस0जी0वाई0/18/2012–13/801-72 **दिनॉक 23.07.2012**

विषयः– "आशीर्वाद"– बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि बाल्यावस्था में बच्चे का उत्तम स्वास्थ्य उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास का द्योतक होता है। स्वस्थ समाज की नींव स्वस्थ बाल्यावस्था से ही पड़ती है, अतः आवश्यक है कि हम अपने बालक/बालिकाओं के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनायें संचालित करें। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के द्वितीय चरण में वर्ष 2012–13 से ग्रामीण क्षेत्रों के 2 से 16 वर्ष के समस्त बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण की योजना तैयार की गयी है, जिसमें बच्चों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग, जांच, संदर्भन एवं उपचार की व्यवस्था की जा रही है।

संस्थागत प्रसव, नवजात शिशु की समुचित देखभाल तथा 2 वर्ष तक बच्चे को समय–समय पर स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य क्षेत्रीय आशा तथा ए0एन0एम0 के माध्मय से समेकित बाल संरक्षण कार्यकम के अन्तर्गत किया जा रहा है। बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के 2 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की आयु तक के समस्त बच्चों को नियमित स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यकतानुसार उपचार तथा संदर्भन की सुविधाओं से आच्छादित किया जाना है। चूंकि 2 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चे सामान्यतः घरों में रहते हैं, अतः इनके स्वास्थ्य परीक्षण का कार्य क्षेत्रीय आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री एवं आशा से सहयोग प्राप्त करते हुए ब्लॉक स्तर पर समर्पित मेडिकल टीम्स (एक चिकित्सक, एक नर्सिंग स्टाफ, एक पैरामेडिकल स्टाफ) के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त स्कूल न जाने वाले 6 से 16 वर्ष तक की आयु के बच्चों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। 6 वर्ष की आयु से 16 वर्ष की आयु तक के स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए योजना के अन्तर्गत स्क्रीनिंग, जांच, संदर्भन एवं उपचार की व्यवस्था की जा रही है, जो स्कूल के शिक्षकों के सहयोग से इन्हीं समर्पित मेडिकल टीम्स के माध्यम से कराई जाएगी।

इस प्रकार पूर्व में चलाये जा रहे स्कूल स्वास्थ्य कार्यकम का विस्तारीकरण एवं सलोनी स्वस्थ किशोरी योजना को सम्मिलित करते हुए अब प्रदेश में "आशीर्वाद"–बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना संचालित की जाएगी, जिसमें 2–16 वर्ष के स्कूल जाने एवं स्कूल न जाने वाले सभी बालक एवं बालिकाओं को स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराई जाएंगी। इन बच्चों को रक्ताल्पता से बचाव के लिए आयरन फोलिक एसिड की गोली तथा प्रत्येक 6 माह पर पेट के कीड़ों के लिए डी–वर्मिंग की गोली भी दी जायेगी। यह योजना चरणवार ढंग से प्रदेश में लागू की जायेगी।

योजना के प्रथम वर्ष 2012–13 में ग्रामीण क्षेत्रों के सरकारी–प्राइमरी, जूनियर एवं हाईस्कूल में जाने वाले 6 वर्ष से 16 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं से आच्छादित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

योजना के द्वितीय चरण में सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, अनौपचारिक शिक्षा के स्कूल, बाल श्रम विभाग एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूल, मदरसे, अनाथालय एवं बाल अपराध गृह के बच्चों के स्वास्थ्य का भी परीक्षण किया जाना होगा।

योजना के तृतीय चरण में स्कूल न जाने वाले बच्चों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं से आच्छादित किया जाएगा। 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के सहयोग से आंगनवाड़ी के स्कूलों में किया जाएगा। 6 वर्ष से बड़ी आयु के स्कूल न जाने वाले बच्चों को विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए क्षेत्रीय आशा का सहयोग लिया जाएगा। इन बच्चों में निर्माण स्थल/ईंट भट्ठों के क्षेत्र में निवास करने वाले परिवार एवं बंजारे/घुमंतू जनजाति के परिवारों के भी बच्चे सम्मिलित होंगे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि जनपद के स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के नोडल अधिकारी को "आशीर्वाद"– बाल स्वास्थ्य गारन्टी योजना (बी0एस0जी0वाई0) का नोडल अधिकारी नामित करें और यदि आपके जनपद में इस पद का कोई अधिकारी नामित न हो अथवा पूर्व में नामित अधिकारी को परिवर्तित करने की आवश्यकता हो तो एक सुयोग्य अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर के अधिकारी को बी0एस0जी0वाई0 का नोडल अधिकारी नामित करते हुए इनका नाम तथा मोबाइल नम्बर मुख्यालय को 31 जुलाई, 2012 तक योजना की विशेष ईमेल gmbsgy@rediffmail.com पर सूचित करें।

योजना के समुचित संचालन के लिए आवश्यक है कि जनपद स्तर पर समस्त सहयोगी विभागों के प्रतिनिधि–बेसिक शिक्षा अधिकारी, समस्त सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला समन्वयक–सर्वशिक्षा अभियान एवं मिड–डे मील, परियोजना निदेशक–आई0सी0डी0एस0, जिला पंचायतीराज अधिकारी तथा जिला विकास अधिकारी के साथ एक समन्वय बैठक आयोजित की जाए, जिसमें कार्यक्रम के सम्बन्ध में विस्तार से चर्चा एवं विचार–विमर्श कर लिया जाय। इस बैठक में जनपद के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन तथा इंडियन एकेडमी आफ पीडियाट्रिक्स के प्रतिनिधि को भी सम्मिलित किया जाए। यदि सम्भव हो तो इस बैठक में जिलाधिकारी द्वारा अध्यक्षता कराई जाय अथवा उनके नामित प्रतिनिधि को इसमें आमंत्रित किया जाय।

प्रथम समन्वय बैठक के पश्चात जनपद में योजना की विस्तृत जानकारी देने के लिए जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक की अध्यक्षता में जनपद के समस्त हाईस्कूलों के प्रधानाचार्यों को आमंत्रित किया जाए। इसी प्रकार ब्लाक स्तर पर प्रत्येक ब्लाक में डी0पी0एम0 अथवा जनपदीय नोडल अधिकारी द्वारा प्रभारी चिकित्साधिकारी, सी0डी0पी0ओ0, सर्वशिक्षा अभियान एवं मिड–डे मील के ब्लाक कोआर्डिनेटर, बी0डी0ओ0, जूनियर एवं प्राइमरी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को बुलाकर योजना के सम्बंध में विस्तार से अवगत कराया जाए तथा उन्हें यह बता दिया जाए कि स्कूल के शिक्षकों के सहयोग से किस प्रकार प्रत्येक वर्ष कम से कम दो बार समर्पित मेडिकल टीमों के द्वारा समस्त स्कूली छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण सुनिश्चित किया जाना है। प्रत्येक छात्र/छात्रा का स्वास्थ्य कार्ड बनाया जाएगा। रूग्ण छात्र/छात्राओं को रूग्णता के आधार पर सी0एच0सी0/जनपदीय चिकित्सालय अथवा उच्चतर स्तर पर संदर्भित किया जाएगा। उक्त कार्यों के लिए ब्लाक स्तर पर विस्तृत माइक्रोप्लानिंग करनी होगी जिसके सम्बंध में शीघ्र ही विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये जाएंगे।

इसके पश्चात जनपद के समस्त ब्लॉक्स में कार्यशील सरकारी–प्राइमरी, जूनियर एवं हाईस्कूलों की ब्लॉकवार सूची तथा इनमें पंजीकृत छात्र एवं छात्राओं की संख्या पृथक–पृथक दर्शाते हुए सूची अद्यतन कर ली जाय तथा ईमेल के माध्यम से राज्य कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को उपलब्ध करा दी जाए। इस सम्बन्ध में भी शीघ्र ही विस्तृत दिशा–निर्देश प्रेषित किये जायेंगे, जिसके अनुसार ब्लॉक स्तर पर मेडिकल टीम्स की तैनाती, प्रत्येक ब्लॉक पर मोबिलिटी हेतु वाहन का अनुबन्धीकरण, शिक्षकों का प्रशिक्षण, स्वास्थ्य कार्डों का मुद्रण तथा अन्य गतिविधियां सम्पन्न की जानी होंगी। मेडिकल टीम्स के चयन के समय एन0आर0एच0एम0 में पूर्व से संविदा पर कार्यरत एम0बी0बी0एस0/डेन्टल/आयुष के चिकित्सकों को प्राथमिकता दी जायेगी। राज्य स्तर पर कार्यक्रम सम्बन्धी विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श हेतु शीघ्र ही एक कार्यशाला आयोजित की जा रही है, जिसमें मुख्य चिकित्सा अधिकारी, योजना के नोडल अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा भाग लिया जायेगा।

<u>गतिविधियों की प्रस्तावित समय–सारिणी :–</u>

1	जनपद स्तर पर प्रथम समन्वय बैठक	05.08.2012 तक
2	जनपद स्तर पर ब्लाकवार स्कूलों एवं पंजीकृत छात्र/छात्राओं की संख्या की सूची	10.08.2012 तक
3	जनपद स्तर पर ओरिएंटेशन बैठक	20.08.2012 तक
4	राज्य स्तर पर ब्लाकवार स्कूलों एवं पंजीकृत छात्र/छात्राओं की संख्या की सूची का प्रेषण	20.08.2012 तक
5	प्रत्येक ब्लाक तक ओरिएंटेशन बैठकें	31.08.2012 तक
6	जनपद में शिक्षकों का प्रशिक्षण	30.09.2012 तक
7	जनपद में मेडिकल टीम्स का चयन एवं ब्लाकवार तैनाती	15.09.2012 तक
8	जनपद में मेडिकल टीम्स का प्रशिक्षण	सित–अक्टू, 2012
9	स्वास्थ्य कार्ड, रेफरल स्लिप, रिपोर्टिंग प्रपत्र, रजिस्टर आदि का मुद्रण	15 अक्टूबर, 2012
10	योजना हेतु आवश्यक औषधि एवं उपकरणों की आपूर्ति	15 अक्टूबर, 2012
11	ब्लाकवार मोबिलिटी हेतु वाहनों का अनुबंधीकरण	01.11.2012 तक
12	योजना का आरम्भ	14.11.2012

आपसे अनुरोध है कि अपने जनपद में योजना के समुचित संचालन हेतु आवश्यक प्राथमिक कार्यवाही तत्काल आरम्भ कर दें तथा बच्चों के स्वास्थ्य के बेहतरीकरण हेतु चलाई जाने वाली इस योजना को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान करें।

E-mail ID : gmbsgy@rediffmail.com

भवदीय

20/07/12

(मुकेश कुमार मेश्राम)
मिशन निदेशक

पत्रसंख्या :–एस0पी0एम0यू0/बी0एस0जी0वाई0/18/2012–13/ तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, महिला कल्याण एवं बाल विकास तथा पंचायती राज, उ0प्र0
3. डा0 सुरेश के0 मोहम्मद, निदेशक, एन0आर0एच0एम0 एवं आर0सी0एच0, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. डा0 अंजना सक्सेना, उपायुक्त, किशोर स्वास्थ्य, स्वास्थ्य एवं प0क0मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान एवं मिड–डे मील, उत्तर प्रदेश।
6. महानिदेशक, परिवार कल्याण,परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त मण्डलीय एवं जनपदीय कार्यक्रम प्रबन्धक, एन0आर0एच0एम0, उत्तर प्रदेश।

(मधु शर्मा)
महाप्रबंधक–स्कूल स्वास्थ्य